2/01 एम 172000/ 5191/ 050 1972 — 5000Rs.



1. नाम लेखकारी : श्री विजय सिंह पिता का नाम श्री राम [illegible] सिंह निवास स्थान गांधी खार दानापुर, थाना-दानापुर, पत्राल्य-दीघा, जिला-पटना भारतीय नागरिक ।

Chandra prakash Kumar

रक्षी देवी

5000Rs.



- 2 -

2. नाम लेखधारिणी : श्रीमती वीणा सिंह धर्मपत्नी श्री मोती प्रसाद सिंह निवास स्थान तिलकनगर, थाना-अथुरापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक ।

3. लेख प्रकार : निर्विवाद विक्रय- पत्र. खरीद बैनामा कलमी ।

4. मूल्यांकन : रुपा 1,72,000/= एक लाख, बहत्तर हजार रुपया मात्र ।

Chandrapragya Kumar

स्वती देवी

5000Rs.



5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण : विवरण ।

मवाजी ½ 2722 वर्गफीट½ दो हजार सात सौ बाईस वर्गफीट एराजी परती अवासिय हैसियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा दानापुर, प्रहलादपुर, परगना फूलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। जिसकी तौजी संख्या-5400½पाँच हजार, चार सौ ½, थाना संख्या-21½एकइस½, खाता संख्या-277½ दो सौ सतहत्तर½, सर्वे

Chandra prakash Kumar
रवी देवी

5000Rs.



- 4 -

खसरा संख्या 1676 (एक हजार छव सौ छिहत्तर),

का अंश भाग जिसकी सालाना लगान मो० 50 पाई

अलावे भेद बणमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा

अंचलाधिकारी दानापुर, पटना ।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
पार्ट प्लौट नं0-1676· श्रीमती ~~रत्नमी~~ सिंह इमरोज़ा हस्तांतर ।	पार्ट प्लौट नं0-1676 निज ।	श्री विश्वनाथ सिंह ।	20 फीट घोड़ा रास्ता ।

Chandra prakash Kumar
रूबी देवी

5000Rs.



यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की बिक्री हेतु क्रेयकारी ने शहरी सम्पत्ति भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा-26(1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 31·12·98 ई० को सूचना दाखिल किये है। जिसका क्रमांक 0487 सन् 1998 ई० है। जिसमें सात दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है और आज तक सरकार द्वारा उक्त सम्पत्ति के अधिग्रहण या सूचना पत्र के

Chandrapalesh Kumar
रवी देवी

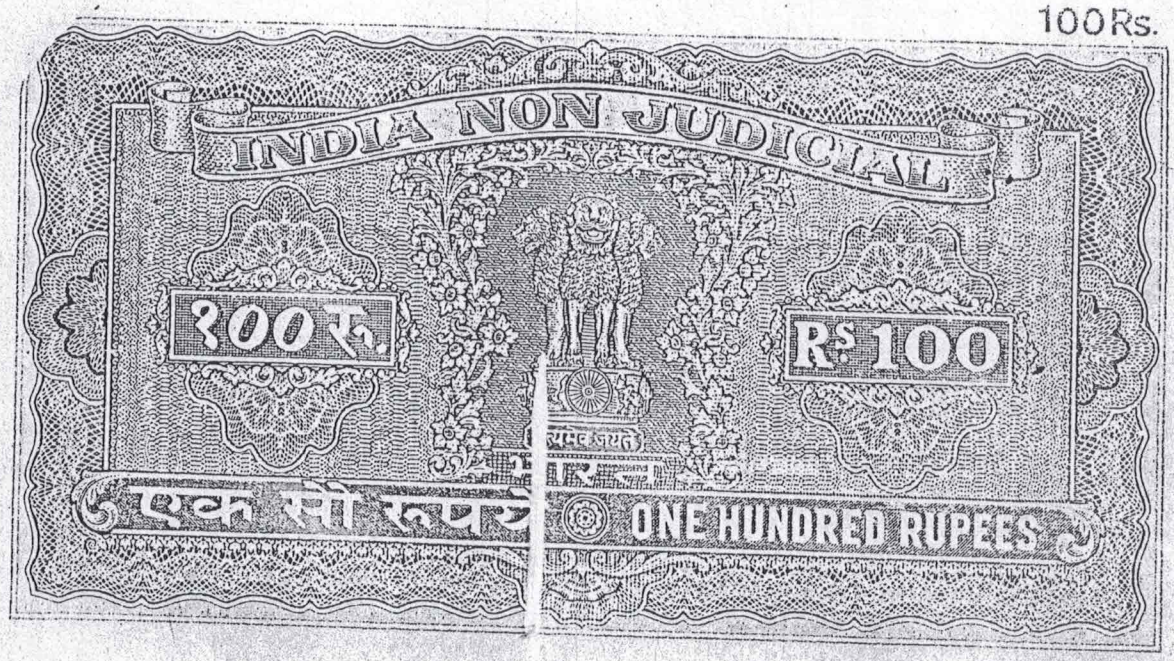
500Rs.



अस्वीकृति की कोई सूचना लेख्यकारी को नहीं
दी गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम
की धारा 26(1)(i) के अनुसार स्पष्ट है कि
लेख्यकारी द्वारा उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण
करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

Chandra prakash Kumar
रवी देवी

100Rs.



- 7 -

"सं द र्भ"

यह कि उपरोक्त छानेनं0-5 में वर्णित सर्वे खसरा संख्या 1676 में मवाणी 1 2 विगहा 4 कट्ठा ½ दो विगहा आठ कट्ठा जमीन की खरीदारी श्री राम गति सिंह ने अपने खास अर्जित आय से बकरिय विक्रय केवाला बयला कलामी मरफुआ तारीख 09·10·1912 ई0 को नबिस्से श्री राम खेलावन पाण्डे पिता का नाम श्री गणाधर पाण्डे कौरह निवासी रुपसपुर थाना दानापुर, जिला- पटना से किये थे। जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या- 17 पृष्ठ संख्या-58 से 60 निबंधन नं0 I-1798 सन् 1912 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन

Chandra prakash kumar
रवती देवी



काल तक अंत्र ग्रस्त कीगई सम्पत्ति पर स्वयं काबिल दखिल रहे । बाद में अपने दो पुत्रगण क्रमशः श्री राम जतन सिंह एवं श्री विश्वनाथ के साथ बजरिये बहिका ~~इकरारनामा दिनांक बजरिया फैमली अरेन्जमेन्ट~~ के माध्यम से दिनांक 29·7·1968-ई0 को आपसी बंटवारा कर लिया। जिसके अनुसार सर्वे बजरा नं0- 1676 में बसराजो मवाजी ३ । एकड़ । ७८३ एक एकड़ एक डिसमल जमीन श्री राम जतन सिंह को जरा दाग एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री राम जतन सिंह अपने दो पुत्रगण क्रमशः श्री विश्व सिंह लेखकारी एवं श्री सत्येन्द्र सिंह के साथ एवं सामिल संयुक्त रूप से काबिज दखिल रहे । बाद में लेखकारी एवं उनके पिता तथा भ्राता एवं पुत्रों के साथ आपस में समस्त सम्पत्ति का बंटवारा हुआ जिसके अनुसार खाने नं0-5

Chandra prakash kumar
रजनी देवी



- 1 -

में वर्णित सम्पति लेख्यकारी को खास दाग एवं हिस्सा में मिला जिसपर लेख्यकारी वहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है वो है । वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रेवत संख्या-75 तप 1993-94 ई० में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते है तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबंध

Chandra Prakash Kumar
खदी देवी

5000Rs.



करना लेखकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल है ।

अतएव लेखकारी ने वहीतयत सम्पति के मूल वर्गीयकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर, वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचितमूल्य मूल्य मो0 1,72,000/= एक लाख, बहत्तर हजार रूपया मात्र में लेखधारिणी खाने नं0- 2 के हाथ बेचा वो बयलाकलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

Chandra prakash Kumar

खत्री देवी

1000Rs.



मूल्य के कुल रुपयों को लेखकारी ने खरीदार पक्ष से इस

तौर से वसूल पाया कि -बगले पहले के सभ्य वसूल

पा चुके हैं। — — —

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल

कब्जा आज तक लेखकारी या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य

में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जाजाण के दिन से मूल के कुल

Chandra Prakash Kumar

रवी देवी

500Rs.

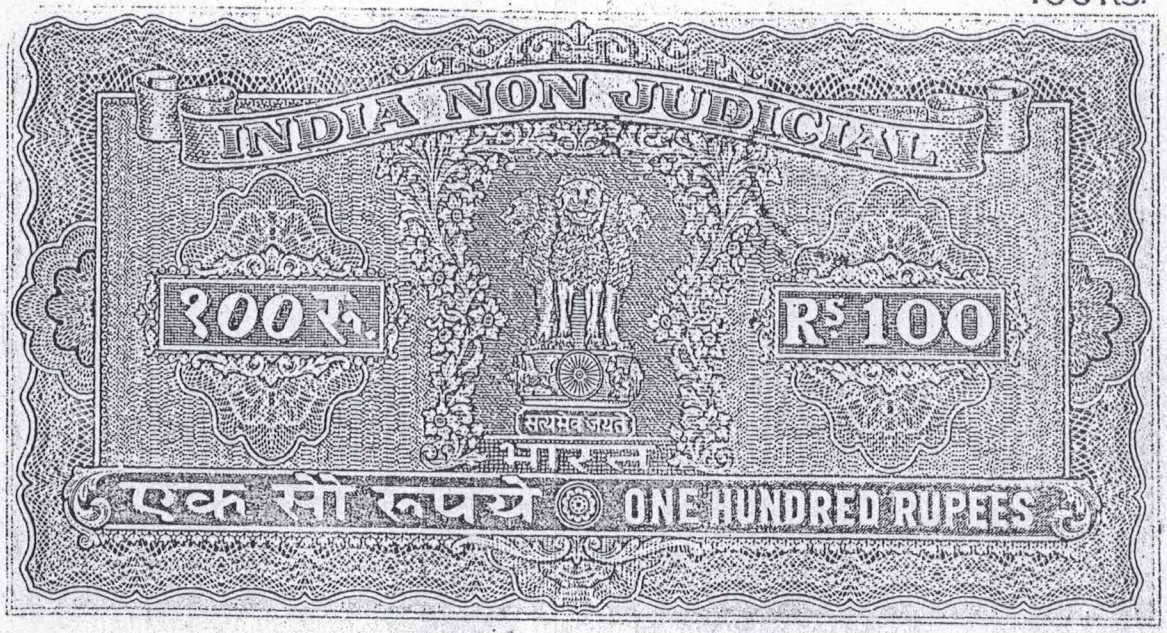


रुपयों के अपने हस्तांतरित होकर खरीदार वह या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार उसने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहीयित सम्पत्ति के मूल वर्णाधिकारी को हकदार वो दावेदार होकर वो रहकर मोकदमा मजबूर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो साथ अपनी वलाय लेखकारी के वोसीरस्ता विहार सरकार के सम्बन्धित विभाग में या बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे। इस वक्त लेखकारी पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखकारी या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के

Chandra prakash Kumar

रवी देवी

100Rs.

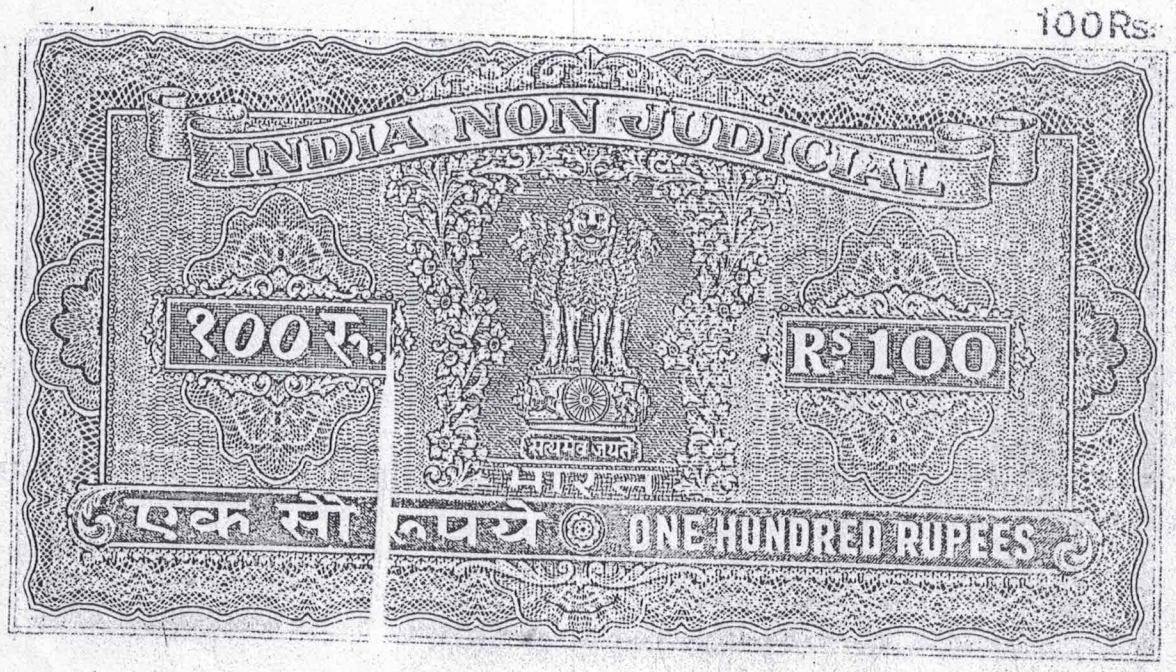


दावा या ज़ूरदारी नित्यत एराजी मजकुर जरे तम्मन मजकुर के करें तो, उनकी ज़ूरदारी या दावा एकीकावले वसीका विक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

शेखधारी (विक्रेता) ने लेखधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि साने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी डीड वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है,वो आज तक लेखकारी

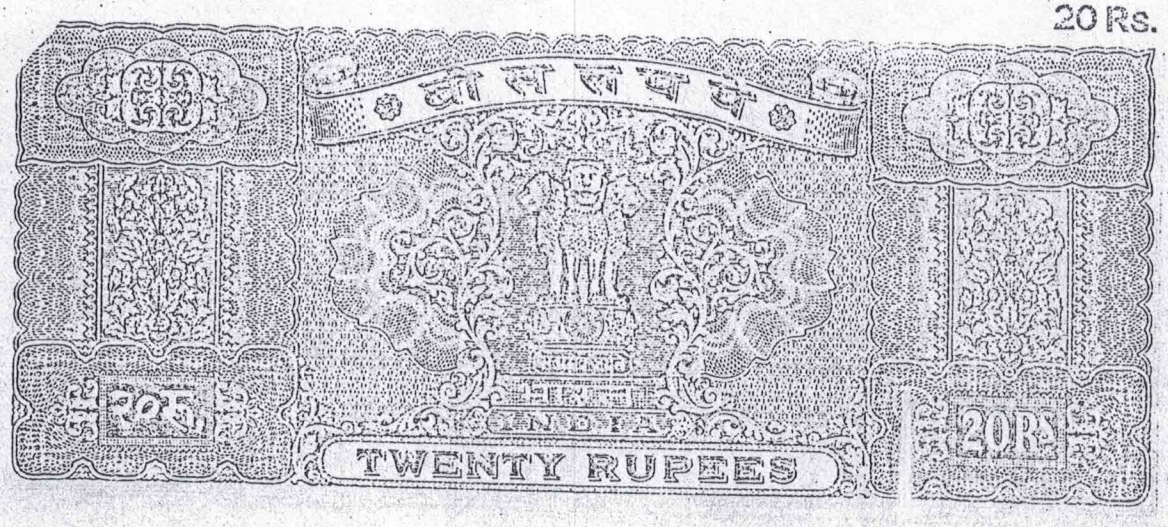
Chandra prakash Kumar
रवी देवी

100Rs.



ने जाने अ0-ऊ में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये है वो नही लिखे है। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी, इंट्रेस्ट वो ऋण गार सरकारी वो गैर सरकारी जाने अ0-ऊ में वर्णित सम्पति मे पावा जाय या देयकारी या उनके उत्तराधिकारिगण के हस्तीय के फलत्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारिगण सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भू-भाग से वंचित कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारिगण को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारिगण अपने क्षति

Chandra prakash Kumar
रक्षा देवी



पूर्ति वेकदर वेदखली या जो जो क्षेत्र भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद सं0 1/= एक रुपया माहवारी के हिसाब से क्रेताकारी या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त क्रेताकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा।

इस वास्ते यह बैशका निर्विवाद विक्रय-पत्र यानि बेबाला बखला बखानी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहे। (समाप्त)

टंकक
दिनेश कुमार सिन्हा
(दिनेश कुमार सिन्हा)
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना।

प्रा(ब्य)/11
ए.डी.जे. पटना तथा चीफ जुडिशल मजि.
दानापुर, पटना

Chandra Prakash Kumar
सती देवी

321
5/7/19

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें)

नाम श्रीमती वीणा सिंह पिता/पति श्री प्रसाद सिंह

साकिन तिलकडीह

पोस्ट थाना मधुरापुर जिला भागलपुर के निवासी है।

ग्राम का नाम एवं थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
मधुरापुर 21	—	277	1671	2.22 एकड़ 6.25 डि०

अं० सं० मधोपप
आवेदित जमीन अधिसावदी
आवेदक का नाम व पता
जमीन के मालिक, दान, क्रय
खेसरा से सुबह है। जमीन पैमाईश
लगान रसीद संलग्न मधतन वगैरह है

आवेदक का हस्ताक्षर

Vina Singh

कर्मचारी का प्रतिवेदन

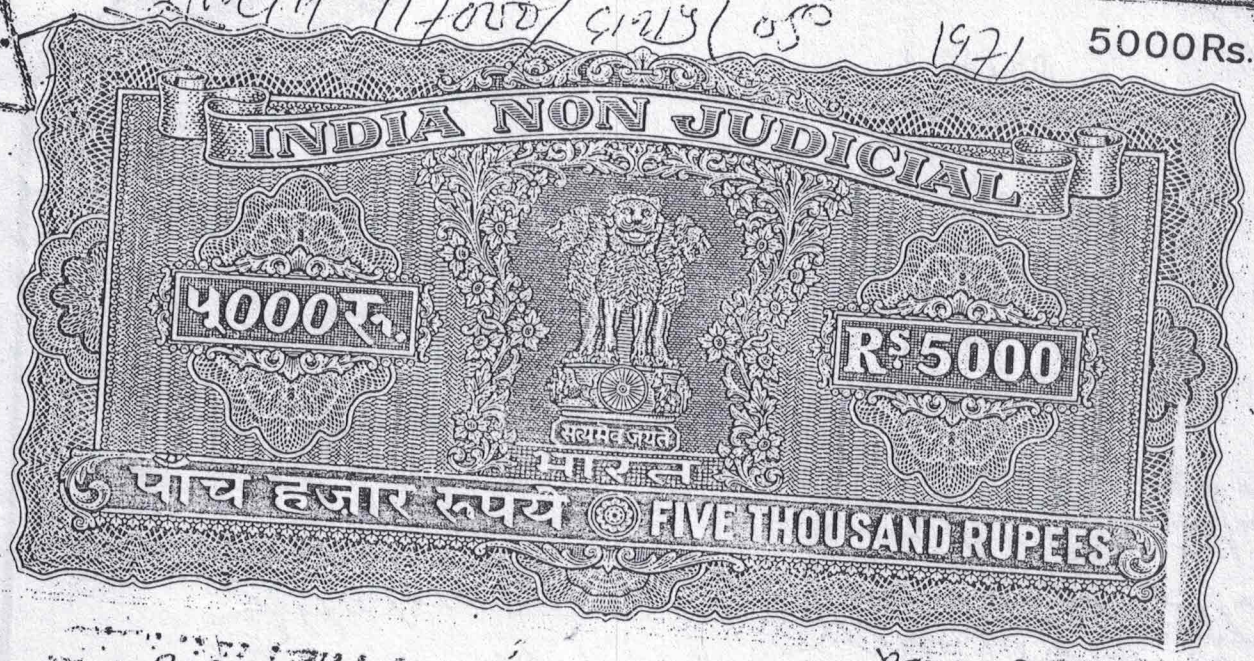
कार्यालय का मूहर

कार्यालय अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर

Chandra Prakash Kumar

रक्षी देवी



1. नाम लेखकारी : श्री विजय सिंह पिता का नाम श्री राम

जतन सिंह निवास स्थान गांधी नगर दानापुर

थाना-दानापुर, पत्रालय दीघा, जिला-पटना

भारतीय नागरिक ।

chandrapraksh kumar

रक्षा देवी

5000Rs.



2. नाम लेखयधारिणी : श्रीमती उत्तमी सिंह धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह निवास स्थान तिकलनगंज, थाना- मधुरापुर, जिला- भागलपुर, भारतीय नागरिक ।

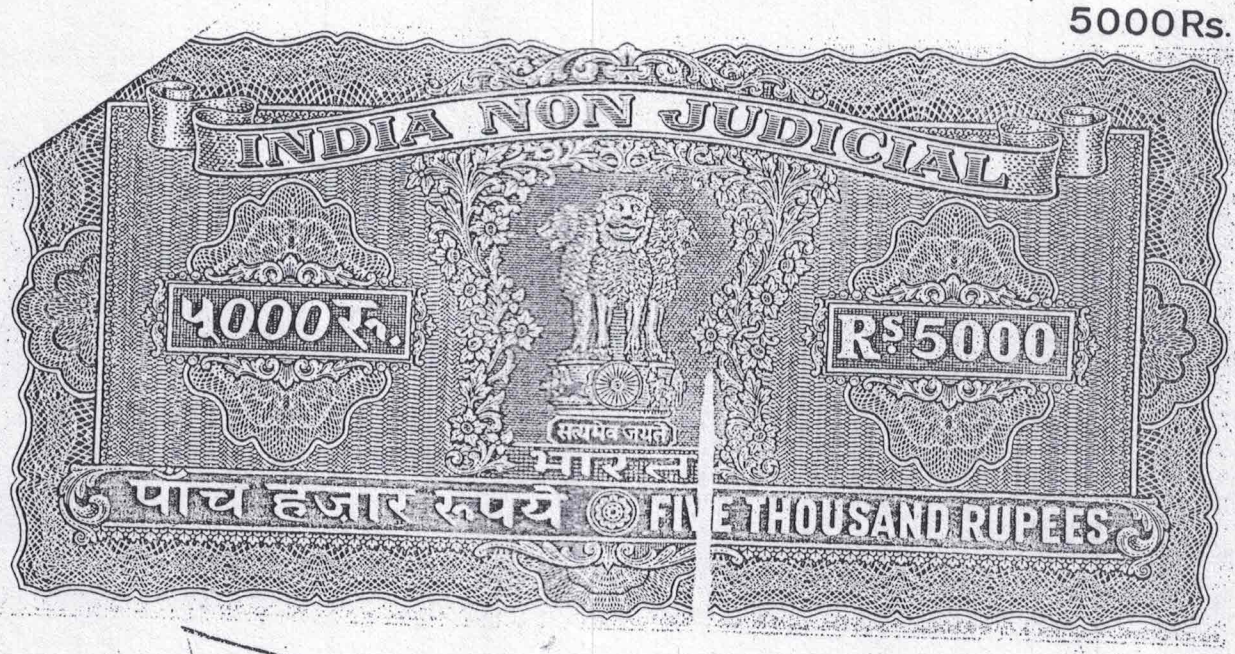
3. लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बयला कलामी ।

4. मूल्यांकन : मो० 1,17,000/= एक लाख, सतरह हजार रूपया मात्र ।

5. सम्पति का सम्पूर्ण विवरण । : मवाजी 1840 वर्गफीट एक हजार आठ सौ चालिस वर्गफीट एराजी परती अवासिय हकियत रैयती कायमी बगदी वाके मौजा थानापुर,

Chandraprakash Kumar

5000Rs.



शहजादपुर, परगना फूलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। जिसकी तौजी संख्या- 5400, (पांच हजार चार सौ) थाना संख्या-21 (इक्कीस), खाता संख्या-277 (दो सौसतहत्तर), सर्वे खतरा संख्या- 1676 (एक हजार छव सौ छिहत्तर), का अंश भाग जिसकी सालाना लगान मो० 50 पैसा अलावे शेष जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, पटना।

Chandra prakash kumar
रजनी देवी

5000Rs.

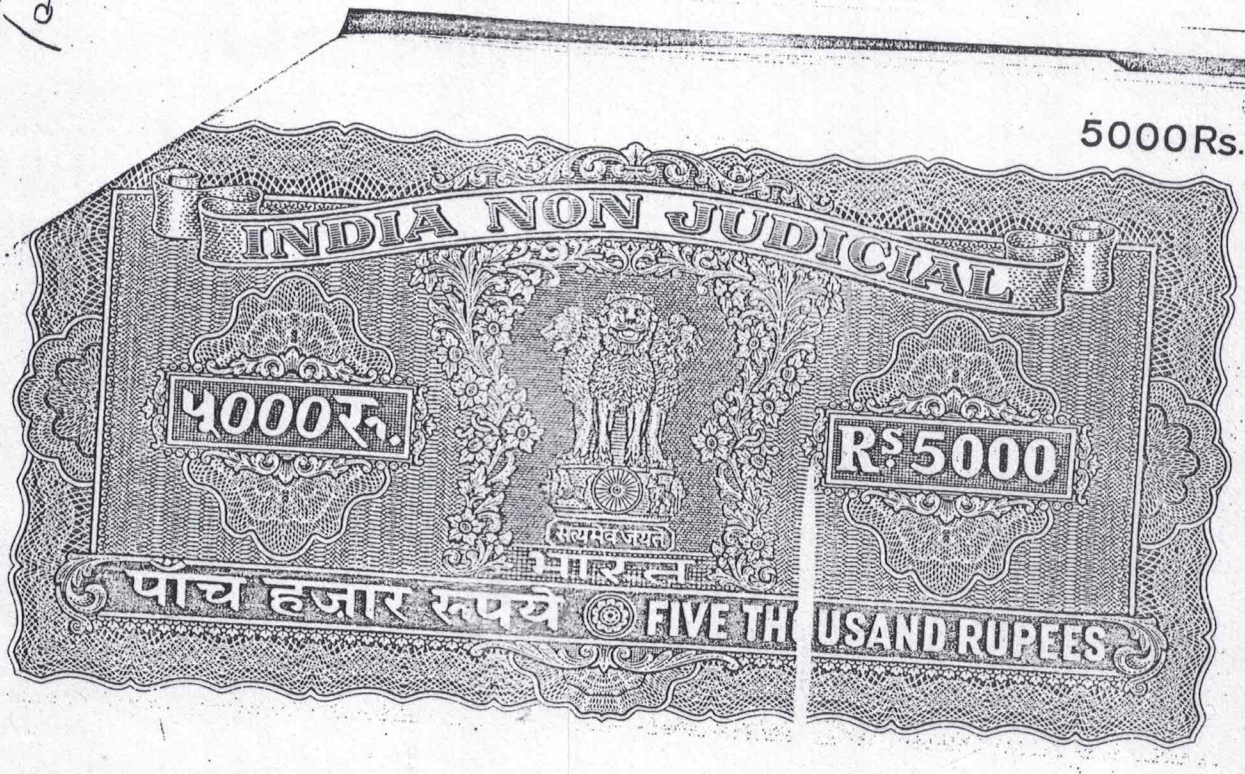


- 4 -

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
राम वरण सिंह हाल शेकर सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ।	पार्ट प्लॉट नं० 1676. श्रीमती वीणा सिंह इमरोज़ा खरीदार ।	श्री विश्वनाथ सिंह ।	20 फीट चौड़ा रास्ता

यह कि उपरोक्त सम्पति की बिक्री हेतू लेखयकारी ने शहरी सम्पति भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा-26(1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष विहित प्रपत्र पर दिनांक 31-12-98 ई०

Chandraprakash Kumar
रूबी देवी



को सूचना दाखिल किये है। जिसका क्रमांक 8486 सन् 1998 ई० है। जिसमें साठ दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है और आज तक सरकार द्वारा उक्त सम्पति के अधिग्रहण या सूचना पत्र के अस्वीकृति की कोई सूचना लेख्यकारी को नही दी गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 269 (ङ) के अनुसार स्पष्ट है कि लेख्यकारी द्वारा उक्त सम्पति के हस्तांतरण करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

Chandraprakash Kumar
रक्षा देवी



"सं द र्भ"

यह कि उपरोक्त खाने नं0-5 में वर्णित सर्वे खसरा संख्या 1676 में मवाणी ½ 2 विगहा 8 कट्ठा½ दो विगहा आठ कट्ठा जमीन की खरीदारी श्री राम गति सिंह ने अपने खास अर्जित आय से वजरिय वक्षिका केवाला बयला ~~कबाला~~ भरकुआ तारीख 09·10·1912 ई0 को नविस्ते श्री राम धेलावन पाण्डे पिता का नाम श्री गणाधर पाण्डे व गैरह निवासी रूपसपुर थाना दानापुर, ~~जिला पटना~~ से किये थे जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-17 पृष्ठ संख्या-58 से 60 निबंधन संख्या-1798 सन् 1912 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन-काल तक उक्त क्रय की गई सम्पति पर स्वयं काविज दखिल रहे । बाद में अपने दो पुत्रगण क्रमशः श्री रामजतन सिंह वो श्री विश्वनाथ के साथ वजरिय वक्षिका

Chandra prakash Kumar
रूबी देवी

5000Rs.



एकरारनामा निस्वत बंटवारा फैमली अरेन्जमेन्ट के माध्यम से दिनांक 29·7·1968 ई० को आपसी बंटवारा कर लिया। जिसके अनुसार सर्वे खसरा नं०- 1676 में वसराणी मवाजी ½ । एकड़ । डि०५ एक एकड़ एक डिसमल जमीन श्री राम जतन सिंह को खास दाज एवं हिस्सा में मिला जिसपर उक्त श्री राम जतन सिंह अपने दो पुत्रगण क्रमशः श्री विजय सिंह लेख्यकारी वो श्री सत्येन्द्र सिंह के साथ वो सामिल संयुक्त रूप से काबिज दखिल रहे। वादमें लेख्यकारी एवं उनके पिता तथा भ्राता एवं पुत्रों के साथ आपस में समस्त सम्पति का बंटवारा हुआ जिसके अनुसार खाने नं०-5 में वर्णित सम्पति लेख्यकारी को खास दाज एवं हिस्सा में मिला। जिसपर लेख्यकारी वहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग में

Chandra Mukyu Kumar
खबी देवी

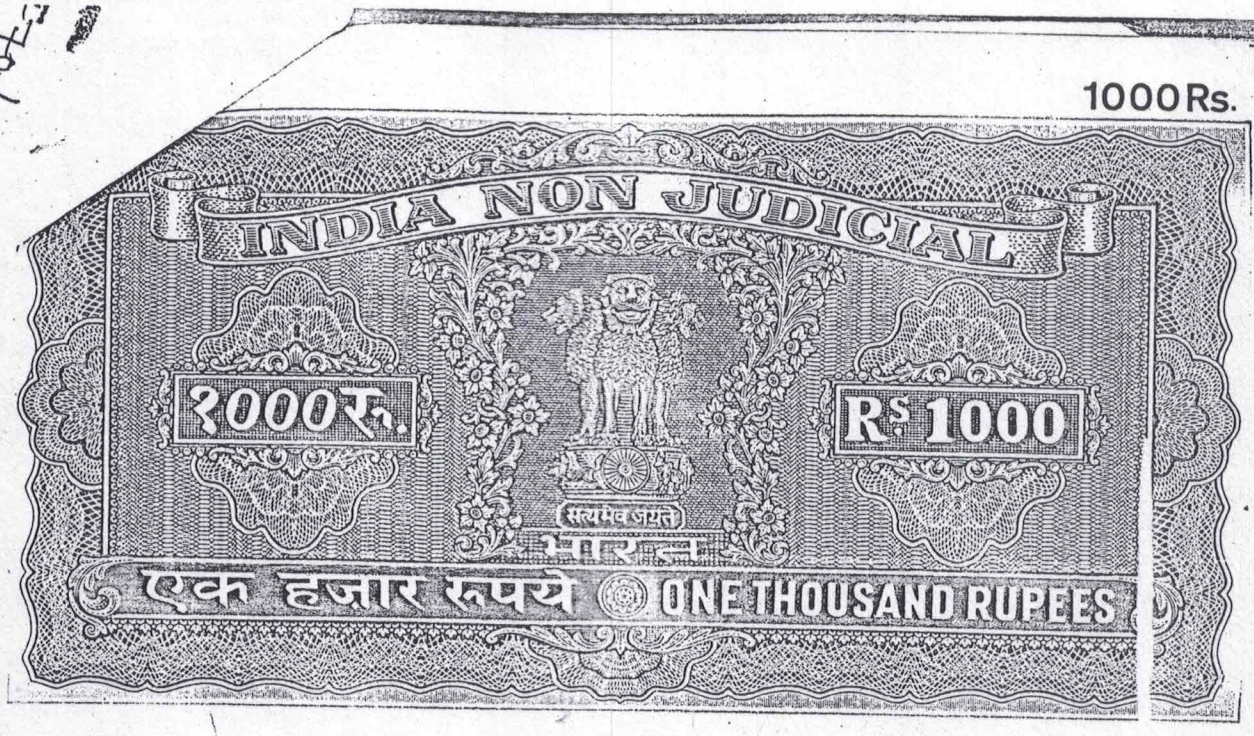


लाते रहे है वो है । वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ताबिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या-75 सन् 1993-94 ई० में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकताहैऔर जब तक थाने नं०-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नही करते है तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतस्त लेख्यकारी ने बहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ थाने नं०-5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित तूल्य मूल्य मो० 1,17,000/= एक लाख सतरह हजार रूपया मात्र में लेख्यधारिणी थाने नं०-2 के हाथ बेचा वो बैयला कलामी किया

Chandra prakash Kumar
स्व देवी



वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी ने इस वीशका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व खरीदार पक्ष से वसूल वो वेवाक पा चूके हैं ।

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगें । उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का कोई

Chandra Prakash Kumar
रवी देवी

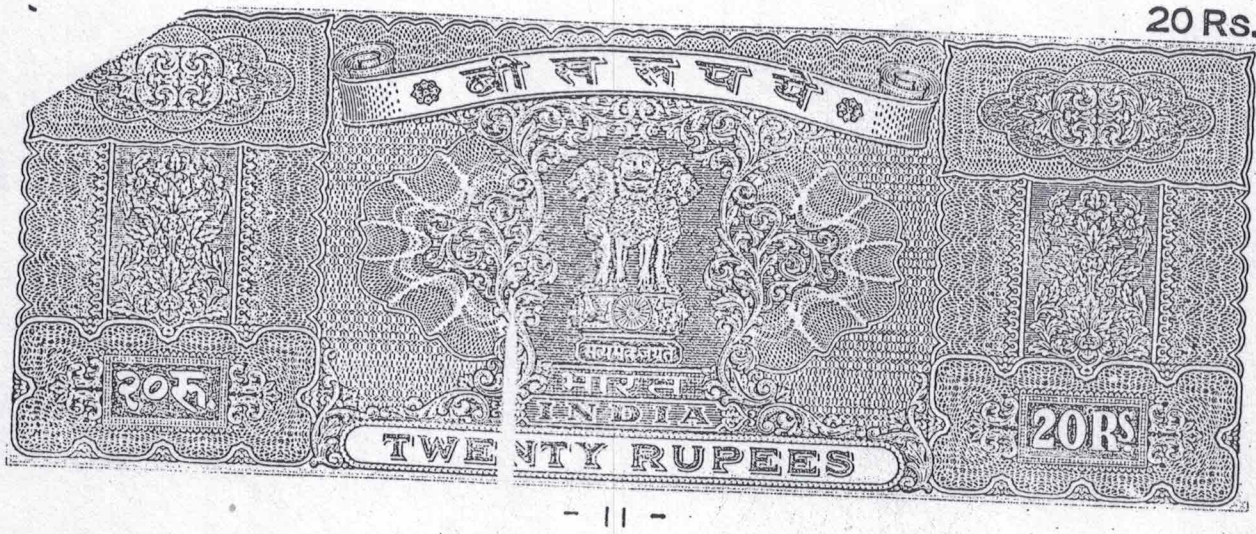


उजूर व इतराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्बत एराजी मजकुर जरे सम्मन मजकुर के करें तो, ~~उनकी उजूरदारी या दावा वमोकाबले~~ वसीकाा बक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारी ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नही किये है वो नही लिखें है। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में पाया जाय या लेख्यकारी या उनकेउत्तराधिकारीगण

Chandraprakash Kumar

रवी देवी



के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पति के अंश या कुल भू-भाग से वेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वेकदर वेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद सैकड़ा ।/= एक रूपया माहवारी के हिसाब से लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वेवाक कर लेवेगें । उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का उज्र वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बधिका निर्विवाद बिक्रय-पत्र यानि केवाला बयला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । ॥ समाप्त ॥

टंकक

दिनेश कुमार सिन्हा

दिनेश कुमार सिन्हा

सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

प्राप्तकर्ता

Chandrapragya Kumar

रत्नी देवी

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार
सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **10022021021801439709**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **दानापुर**
जमाबंदी सं0:- **8015** भाग वर्तमान:- **24** पृष्ठ संख्या:- **36566**	मौजा/थाना सं0:- **21**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **VEENA SINGH** अभिभावक का नाम:- **MOTI PRASAD SINGH**	पता:- **TILAKGANJ ,**

खाता संख्या	खेसरा संख	रकबा/डिसमिल
277	1676	0 एकड़ 6.25 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) च लू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0 00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

तिथि- 10-02-2021

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Chandrashekar Kumar

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार
सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **10022021023100033457**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **दानापुर**
जमाबंदी सं0:- भाग वर्तमान:- **106** पृष्ठ संख्या:- **30**	मौजा/थाना सं0:- **21**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **NARENDRA PRASAD SINGH,PIYUSH KUMAR,SANDEEP RAGHUVANSHI** अभिभावक का नाम:- **LATE SHID DHARI SINGH,NARENDRA PRASAD SINGH,NARENDRA PRASAD SINGH**	पता:- **TILKUGANJ THANA - KAHALGAW BHAGALPUR,TILKUGANJ THANA - KAHALGAW BHAGALPUR,TILKUGANJ THANA - KAHALGAW BHAGALPUR**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
277	1676	0 एकड़ 4.224 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	24.50	30.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-30.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

तिथि- 10-02-2021

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Chandraprakash Kumar